न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 21/11 **निर्णय दिनांकः 09.05.2019**

1. रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम जाति नाई निवासी किसनासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर। (फौत)

1/1. श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र
1/2. नन्दराम
1/3. गुड्डी
1/4. भागीरथ
1/5. कम्मा
1/6. कुम्भाराम
1/7. पानादेवी
1/8. गोपाल
1/9. तोलाराम
1/10. डूंगरराम
1/11. राजादेवी
1/12. राजूराम
1/13. ताराचन्द
1/14. कालूराम

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. रामचन्द्र जाति नाई निवासी किसनासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 15—03—2011
जिला कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 15—03—2011 जिसके द्वारा अपीलांट् की आवंटित भूमि खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम राजपूरा हुड़ान की रोही में खसरा नम्बर 38 की 25 भूमि दिनांक 17—06—1967 से आवंटित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से दिनांक अपीलांट का आवंटन नियम 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को दिनांक 17—06—1967 को ग्राम राजपुरा हुड़ान तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 38 में 25 बीघा भूमि आवंटित की गई। जिस पर आवंटन दिनांक से अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर के वर्तमान में खसरा नम्बर 580/197 बने तथा इसी खसरा नम्बर पर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील इस आधार पर खारिज की गई है कि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है बल्कि किसी चेतनराम नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर है। इसलिए आवंटन कपट पूर्वक करवाया गया है। जबकि प्रकरण में सही स्थिति यह है कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा आज से 45 वर्ष पूर्व आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर बालते नाम अर्थात चेतनराम लिख दिया गया। जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट व दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जॉच भी नहीं की गई है कि क्या दोनों व्यक्ति अलग—अलग है

अथवा अपीलांट का नाम रामचन्द्र के साथ चेतनराम भी है। अपीलांट को आज से 45 वर्ष पूर्व आवंटन किया गया है तथा जिसकी समय पर खातेदारी भूमि अपीलांट को प्रदान की जा चुकी हैं ऐसी स्थिति में बिना जॉच किये अपीलांट के आवंटन को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि को काफी मेहनत व लाखों रूपये खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना रामचन्द्र के नाम से प्रस्तुत किया गया था लेकिन सहवन से हस्ताक्षर के स्थान पर चेतनराम अंकित कर दिया गया। जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई, उक्त रिपोर्ट पर भी आवेदक रामचन्द्र व उसके पिता की सकूनत के बारे में रिपोर्ट की गई तथा तहसीलदार द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जिससे साबित है कि अपीलांट द्वारा बिना कपट के सद्भाविक रूप से आवंटन करवाया गया है तथा कालान्तर में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त की गई है। जब अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार हासिल किये जा चुके है ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के तहत की समाप्त किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट आवंटन निरस्त किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट रामचन्द्र द्वारा भूमि आवंटन हेतु तहसीलदार, लूणकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलांट रामचन्द्र के हस्ताक्षर नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति चेतनराम के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि बेनामी तरीके से आवंटन करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 14 (4) के अन्तर्गत यदि कोई आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा करवाया गया है अथवा नियमों के विपरीत करवाया गया है, को खारिज करने में किसी प्रकार कोइ कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में दिनांक 09—04—1967 को रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम के नाम से भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश हुआ, जिस पर आवेदक के रूप में चेतनराम के हस्ताक्षर है। आवेदन पर पटवारी ने आवेदक रामचन्द्र व उसके पिता की सकूनत तथा भूमि के बारे में रिपोर्ट की है तथा तहसीलदार ने इसकी पुष्टि की है। पटवारी ने रामचन्द्र पुत्र रेवन्तराम के नाम से ही आवंटन योग्य भूमि की मौका रिपोर्ट पेश की है। आवंटित भूमि पर कब्जे का सत्यापन किया जाकर आवंटन की शर्ते पूर्ण करने पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। उक्त आवंटन के 38 वर्ष बाद आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में हस्ताक्षर में हुई गलती के आधार पर प्रस्तुत शिकायत को आधार बनाकर आवंटन खारिज किया गया है।

परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में हस्ताक्षरों में भिन्नता के अलावा किसी प्रकार के कपट या दुर्व्यपदेशन का उल्लेख नहीं किया है। अपीलांट के अभिभाषक के तर्क में सार है कि आवेदक रामचन्द्र को बोलचाल में चेतन भी कहते थे। जैसी कि गावों में परम्परा रही है। इसलिए चेतनराम के नाम से हस्ताक्षर किये परन्तु मौके पर उपस्थित गवाह तथा राजस्व कर्मियों ने इसकी पहचान रामचन्द्र के रूप में करवाने के कारण मूल नाम से आवंटन आदेश जारी किया गया। अपीलांट ने अपने तर्क के समर्थन में प्यारेलाल बनाम बाबूलाल (आरआरटी 2008) तथा नागेन्द्र बनाम धीरज (आरआरटी 2009) के मामलों में राजस्व मण्डल द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। उक्त निर्णयों में आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त लम्बे अन्तराल बाद नियम 14 (4) के तहत आवंटन के निरस्तीकरण आदेश को विधि विरूद्व एवं मनमाना बताया है। विधिक प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त उक्त अधिकारों को टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत ही निर्वाचित किया जा सकता है न कि आवंटन आदेशों के तहत।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—03—2011 उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों से असंगत होने क कारण अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर